कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / ELC/2021-22 दिनांक : .09.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा / नोडल अधिकारी
(मतदाता एवं स्वीप कार्यक्रम)

विशय :– विधानसभा आम चुनाव 2023 विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प पत्र भरवाने बाबत।

प्रसंग :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक : एफ.4(3)(3)स्वीप / निर्वा / वि. चुनाव / 2023 / 4139 जयपुर दिनांक 28.08.2023

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 18.04.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सन्दर्भित पत्र दिनांक : 18.04.2023 द्वारा आपको मतदाता शिक्षा एवं स्वीप कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु निर्देशानुसार शिक्षा विभाग की ओर से जिला नोड्ल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के प्रासंगिक पत्रानुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गत विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान स्वीप कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प पत्र भरवाने का कार्य किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रहा है।

इसी क्रम में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु राज्य की समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एव अंग्रेजी माध्यम सहित) के समस्त विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प पत्र भरवाया जाना है।

अतः उल्लिखितानुसार प्रासंगिक पत्र की छायांप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों का उक्त संलग्नित संकल्प पत्र निर्धारित समयावधि में भरवाकर उक्त की सूचना सम्बन्धित को प्रेषित करवाते हुए प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(डॉ. अरूण कुमार शर्मा)
स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए समस्त सम्बन्धितों को ई–मेल प्रेषित करने बाबत।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
6. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।
7. समस्त संस्था–प्रधान।
8. रक्षित पत्रावली।

स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Arun Kumar
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.05 10:35:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4643046

Rajasthan Education Department

PS/mail/307/23
29.8.23

DD (Sec.)/मुख्यवक्ता
29/08/2023

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.4(3)(3) स्वीप/निर्वा/वि.चुनाव/2023/ 4131 जयपुर, दिनांक 28/8/23

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2023– विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प पत्र भरवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गत विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान स्वीप कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में स्कूलों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावकों को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए संकल्प पत्र भरवाने का कार्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य में विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रहा है।

2. गत् विधानसभा आम चुनाव 2018 की भाँति ही आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से संकल्प पत्र भरवाने का कार्य किया जाएगा।
3. राज्य में राज्य सरकार के अधीन संचालित होने वाले विभिन्न विद्यालयों एवं प्राईवेट विद्यालय जिसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी सम्मिलित है, में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से उनके अभिभावक जो कि मतदाता है से **"संकल्प पत्र"** भी भरवाया जाए, जिससे अभिभावकगण प्रेरित होकर विधानसभा आम चुनाव–2023 में मतदान केन्द्र पर आकर अपने मताधिकार का आवश्यक रूप से प्रयोग करें। संकल्प पत्र भरवाये जाने संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश –

- **नोडल अधिकारी की नियुक्ति –** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो कि जिला स्तर पर स्वीप कमेटी से समन्वय कर उक्त संकल्प पत्र भरवाने का कार्य जिले में संबंधित सभी विद्यालयों से समन्वय कर कराएगे। संकल्प पत्र भरवाने का कार्य **1 सितम्बर से 11 सितम्बर, 2023 के मध्य सभी विद्यालयों में किया जाएगा तथा इस अवधि में 10–11 सितम्बर, 2023 को संकल्प पत्र भरवाकर यथास्थिति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय में जमा कराए जाएगे।**
- संकल्प पत्र भरवाने का कार्य संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के पर्यवेक्षण में किया जाएगा तथा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्य में उनका सहायोग करेगें। जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यह कार्य वहां के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा एवं स्वीप कमेटी के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि निर्धारित दिनांक से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बी.एल.ओ. के माध्यम से संकल्प पत्र प्रत्येक स्कूल में पहुंच जाये।
- मतदाताओं द्वारा भरे गये संकल्प पत्रों का विवरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाएगा। इस कार्य के लिए बी.एल.ओ. के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक एवं साक्षरता मिशन के प्रेरकों आदि का सहयोग भी लिया जा सकता है। संकल्प पत्र के वितरण के समय बूथ लेवल अधिकारी अपने साथ

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned with ACE Scanner

मतदाता सूची भी साथ में रखेगें ताकि आवश्यकता होने पर छात्र/छात्राएं अपने अभिभावकों के मतदाता सूची में नामों की जानकारी तत्काल प्राप्त कर सकें।

- **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा भरे गये संकल्प पत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित करना**– संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विधानसभा क्षेत्र में कितने संकल्प पत्र वितरित किए गये है एवं कितने संकल्प पत्र भर कर उनके कार्यालय में प्राप्त हुए है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार दिनांक **13 सितम्बर, 2023 तक एकत्रित किए कुल संकल्प पत्रों की संख्या की सूचना संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) दिनांक 14 सितम्बर, 2023 तक उक्त सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।**

4. **निजी विद्यालयों में संकल्प पत्रो का भरवाया जाना** –

1. राज्य में वर्तमान में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल संचालित किया जा रहे है तथा शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के अभिभावकों में सामान्यतः यह पाया गया है कि उनका मतदाता सूची में पंजीकरण होने पर भी वे मतदान दिवस के दिन मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र पर नहीं आते है। इसे शहरी मानसिकता (URBAN APATHY) के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके निराकरण के लिए संकल्प पत्र के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही की जाकर शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाना है।
2. इस कार्य में जिला स्तर पर विभिन्न महाविद्यालयों में नियुक्त कैम्पस एम्बेसडर का सहयोग भी लिया जा सकता है।

अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वह गत विधानसभा आम चुनाव की भांति विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी संकल्प पत्र भरवाने का कार्य निर्धारित समयावधि में प्रभावी रूप से करने का श्रम करें जिससे की विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ सकें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक 28.8.23

क्रमांकः एफ.4(3)(3) स्वीप/निर्वा/वि.चुनाव/2023/4139
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला स्वीप नोडल अधिकारी, राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

Scanned with ACE Scanne

संकल्प–पत्र

आदरणीय अभिभावकगण,

मुझे शिक्षित करने का सुअवसर देने के लिऐ मैं आपका/आपकी आभारी हूँ। शिक्षा मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएगी एवं साथ ही लोकतंत्र में अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए मुझे सशक्त करेगी। अतः आपको देश के अच्छे नागरिक के रूप में हमारे देश एवं लोकतंत्र की देखभाल करते रहना चाहिए। फिर, जब मैं मतदाता बनने की उम्र हासिल कर लूँगा/लूँगी तो मैं भी उक्त जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाऊँगा/जाऊँगी।

इसलिए प्रिय मम्मी व पापा मैं आपसे एवं परिवार के समस्त मतदाताओं से प्रार्थना करता/करती हूँ कि आप राजस्थान में सम्पन्न होने वाले आगामी विधानसभा आम चुनाव–2023 में अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पोलिंग बूथ पर जरूर जाऐंगे एवं अपना मतदान कर अपनी पसन्द के उम्मीदवार का चयन करेंगे।

प्रिय मम्मी व पापा मैं जानता/जानती हूँ कि आप मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, अतः मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग कर मेरे प्रति अपने वात्सल्य को व्यक्त करें।

विद्यार्थी का हस्ताक्षर

नाम..

Rajasthan Education Department

सत्यमेव जयते

संकल्प

हमारे परिवार में हम कुल .... (संख्या) सदस्यगण हैं, जो वर्तमान में वोटर के रूप में पंजीकृत हैं। हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव–2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे।

		नाम	EPIC संख्या	हस्ताक्षर
मतदाता के रूप में पंजीकृत अभिभावकगण व अन्य परिवारगण द्वारा संकल्प हेतु	(1)			
	(2)			
	(3)			
	(4)			

शैक्षणिक संस्था का नाम :..

ग्राम/शहर :..**ब्लॉक :**..

दिनांक :..

महत्वपूर्ण :

यदि आवश्यक हो तो, मतदाता पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी लेने के लिए, आप :

(1) 1950 डायल करें ।

(2) वोटर हेल्प लाइन एप/वोटर पोर्टल पर लॉगिन करें।

Scanned with ACE Scanner

"कोई मतदाता छूट नहीं पाये"

Letter of Pledge

Respected Parents,

I am grateful to you for imparting education to me. Education will brighten up my future. I know that it will empower me to exercise my choice in democracy. But until then, you, as my parents, being true citizens, will have to take care of our country and democracy until I am old enough to be registered as voter.

So Dear Mummy and Papa and all other voters of my family, I request you all to resolve to vote in the interest of my bright future. Therefore, please spare some time from your busy schedule to go to your polling station upcoming Assembly Elections, 2023 and cast your vote.

DEAR MUMMY AND PAPA, PLEASE SHOW YOUR LOVE BY CASTING YOUR VOTE FOR MY BRIGHT FUTURE.

Rajasthan Education Department

Signature of Student

Name:

सत्यमेव जयते

Resolution

In our family, a total of _____ (number) members are registered as voters at present. We all resolve that we will definitely vote in the upcoming Assembly General Election, 2023.

		Name	EPIC No.	Signature
Signature(s) of Parents and family members, who are registered voters	(1)			
	(2)			
	(3)			
	(4)			
	(5)			
	(6)			

Name of the School:____________________

Village/City: ______________ **Block:**__________

Date:________________

Important :

If you have any queries regarding your voter registration, you may:

1. Dial 1950 and proceed
2. Log on to Voter Helpline App/Voter Portal and proceed

"No voter to be left behind"

Scanned with ACE Scanner